

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025—पौष 27, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, मदन प्रसाद शर्मा (MADAN PRASAD SHARMA) पुत्र श्री विष्णु प्रसाद शर्मा, निवासी—म.नं.—28, वंदना होम्स फेस-2, बैरागढ़ चीचली, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम मदन प्रसाद (MADAN PRASAD) पुत्र श्री विष्णु प्रसाद शर्मा है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है एवं मेरा नाम मदन प्रसाद शर्मा (MADAN PRASAD SHARMA) पुत्र श्री विष्णु प्रसाद शर्मा भी है जो कि मेरे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उक्त दोनों नाम अर्थात् मदन प्रसाद (MADAN PRASAD) एवं मदन प्रसाद शर्मा (MADAN PRASAD SHARMA) मेरे स्वयं के ही नाम हैं अर्थात् एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रकाशन उपरांत मदन प्रसाद शर्मा (MADAN PRASAD SHARMA) पुत्र श्री विष्णु प्रसाद शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(मदन प्रसाद)

(MADAN PRASAD)

(G-149)

नया नाम

(मदन प्रसाद शर्मा)

(MADAN PRASAD SHARMA)

नाम परिवर्तन

मैं, रावजी अखंडे (RAWJI AKHANDE) पुत्र श्री भाऊजी अखंडे, पता—185, दीवरिया पो. दीवरिया तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम कालिया (KALIYA) पुत्र श्री भाऊजी जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है एवं मेरा वर्तमान नया नाम रावजी अखंडे (RAWJI AKHANDE) पुत्र श्री भाऊजी अखंडे (BHAUJI AKHANDE) है जो कि मेरे परिचय पत्र में लिखा हुआ है। उक्त दोनों नाम अर्थात् कालिया (KALIYA) एवं रावजी अखंडे (RAWJI AKHANDE) मेरे स्वयं के ही नाम हैं अर्थात् एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रकाशन उपरांत मैं रावजी अखंडे (RAWJI AKHANDE) पुत्र श्री भाऊजी अखंडे (BHAUJI AKHANDE) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(कालिया)

(KALIYA)

(G-150)

नया नाम

(रावजी अखंडे)

(RAWJI AKHANDE)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, संत कुमार शाक्य पुत्र श्री विन्द्रावन शाक्य निवासी—ग्राम—महाराजपुर पोस्ट—महाराजपुर, सराईपुरा डबरा, ग्वालियर. मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम संत कुमार पुत्र श्री विन्द्रावन (Sant kumar s/o Shri vindravan) दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम संत कुमार शाक्य पुत्र श्री विन्द्रावन शाक्य (Sant kumar shakya s/o Shri vindravan shakya) है जो कि मेरे आधार कार्ड और मेरी शैक्षणिक दस्तावेज में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(संत कुमार)
(G-151)

नया नाम
(संत कुमार शाक्य)
पुत्र—श्री विन्द्रावन शाक्य
(Sant kumar shakya s/o Shri vindravan shakya).

नाम परिवर्तन

मैं, नेपाल सिंह (NEPAL SINGH) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम छोटू (CHOTU) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरा वास्तविक और सही नाम नेपाल सिंह (NEPAL SINGH) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम नेपाल सिंह (NEPAL SINGH) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(छोटू)
(G-152)

नया नाम
(नेपाल सिंह)
(NEPAL SINGH)
पिता—श्री समंदर सिंह
निवासी—13, घुटुआ ग्राम,
चितावर, जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

हम लोकेन्द्र सिंह राठौर (Lokendra Singh Rathore) एवं साधना राठौर (Sadhana Rathore), अपनी पुत्री वंशिका राठौर (Vansika Rathore) का नाम परिवर्तित कर शौर्या राठौर (Shourya Rathore) करना चाहते हैं. इस प्रकाशन के उपरांत हमारी पुत्री को समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में शौर्या राठौर (Shourya Rathore) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(वंशिका राठौर)
(Vansika Rathore)
(G-153)

नया नाम
(शौर्या राठौर)
(Shourya Rathore)
आत्मज—लोकेन्द्र सिंह राठौर
निवास—भीलगाँव, राम मंदिर के पीछे,
भीलगाँव खरगोन, मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमको बाई पत्नी स्व. श्री लालजी राम, निवासी—इंदिरा कॉलोनी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम रमको बाई (RAMKOO BAI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश रामकुंवर बाई हो गया है, अब मैं अपने वास्तविक व नये नाम रमको बाई (RAMKOO BAI) के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(रामकुंवर बाई)
(G-154)

नया नाम
(रमको बाई)
(RAMKOO BAI).

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 62 के अधीन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जे.एस. कंस्ट्रक्शन, मकान नंबर ई-8-105, त्रिलोचन नगर, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00036/14 सन् 2014-2015 दिनांक 28 अप्रैल 2014 को किया गया था, इस फर्म में दो भागीदार हैं, प्रथम भागीदार श्री जय सिंह चौहान पिता श्री शिव सागर चौहान और दूसरा भागीदार श्रीमती अंजू चौहान पिता राजेंद्र चौहान हैं।

फर्म की प्रथम डीड जो 06 जनवरी 2014 में बनी थी उसमें फर्म के प्रथम भागीदार का नाम अंग्रेजी में रैपेलिंग JAI SINGH CHOUHAN लिखा हुआ है, जबकि आधार और पैन के अनुसार की सही स्पेलिंग JAY SINGH CHOUHAN है, फर्म की दूसरी डीड 12 अगस्त 2024 में बनी है, उसमें यह सुधार कर लिया गया है।

M/s. J.S. Construction

(JAY SINGH CHOUHAN)

(G-155)

(Partner)

नाम परिवर्तन

मैं, बालकृष्ण शुक्ला आत्मज श्री रामनाथ शुक्ला निवासी-ई7-819, अरेरा कालोनी, हुजूर, भोपाल, मध्यप्रदेश। मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नाम व सरनेम बी.के. शुक्ला (B.K. Shukla) पुत्र श्री रामनाथ शुक्ला (Ramnath Shukla) है। व अन्य शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम बालकृष्ण शुक्ला (Balkrishna Shukla) पुत्र श्री रामनाथ शुक्ला (Ramnath Shukla) है। प्रकाशन उपरांत बालकृष्ण शुक्ला (Balkrishna Shukla) पुत्र श्री रामनाथ शुक्ला (Ramnath Shukla) के नाम व सरनेम से जाना-पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम

(बी.के. शुक्ला)

(B.K. Shukla)

(G-156)

नया नाम

(बालकृष्ण शुक्ला)

(Balkrishna S Shukla)

पुत्र - श्री रामनाथ शुक्ला

(Ramnath Shukla)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सरिता देवी पत्नी स्व. श्री पन्नालाल कुशवाहा (SARITA DEVI W/O late Shri Pannalal Kushwaha) निवासी नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय/गैरशासकीय दस्तावेजों जैसे आधार, वोटर आईडी आदि में मेरा नाम सरिता देवी पत्नी स्व. श्री पन्नालाल कुशवाहा है, जो कि सही एवं वास्तविक नाम है। जबकि विवाह से पूर्व घर में मेरा नाम गंगा देवी या गंगा बाई था। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी सरकारी/गैर सरकारी तथा अन्य दस्तावेजों में मेरे सही व वास्तविक नाम सरिता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पन्नालाल कुशवाहा (SARITA DEVI W/O late Shri Pannalal Kushwaha) से जाना व पढ़ा-लिखा दर्ज किया जाए।

पुराना नाम

(गंगा देवी या गंगा बाई)

(G-157)

नया नाम

(सरिता देवी)

(SARITA DEVI)

नाम परिवर्तन

मैं, रामू साहू आत्मज श्री भोगीराम साहू निवासी-117, स्कूल मोहल्ला माल्हनवाडा, ग्राम माल्हनवाडा, बनखेड़ी, नर्मदापुरम, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रमेश चन्द्र साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम रामू साहू है जो कि मेरे पेन कार्ड एवं मेरे वोटर कार्ड में अंकित है। प्रकाशन उपरांत मेरा नया नाम रामू साहू लिखा-पढ़ा दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(रमेश चन्द्र साहू)

(G-158)

नया नाम

(रामू साहू)

नाम परिवर्तन

मैं, रुकमणी साहू पति विजय साहू, निवासी वार्ड क्र. 12, आशीष लॉज के पास छंगेराजा पुरानी बिल्डिंग के बगल में बेनीसागर मोहल्ला, पन्ना (म.प्र.). पूर्व में मेरा नाम रुकमणी साहू अभिलेखों में दर्ज है। मेरा विवाह उपरांत रुकमणी साहू के स्थान पर परिवर्तित नाम रजनी साहू (RAJNI SAHU) लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (रुकमणी साहू)	नया नाम (रजनी साहू)
-----------------------------	------------------------

(G-159)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मैं, श्रीमती सोनाली साहू (SONALI SAHU) मेरा पूर्व का नाम सोनम साहू (SONAM SAHU) था। जो मेरे बीमा पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में श्रीमती सोनाली साहू (SONALI SAHU) के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा गया है। श्रीमती सोनाली साहू एवं सोनम साहू दोनों नाम मेरे ही यानि एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम श्रीमती सोनाली साहू (SONALI SAHU) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम (सोनम साहू)	नया नाम (सोनाली साहू)
---------------------------	--------------------------

(G-160)

पत्नी—स्व. श्री ज्ञान सिंह साहू,
पता—39/6, नवीन छावनी, कोलुआ खुर्द, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सावंती जाटव (Savantee Jatav) पति भरतलाल जाटव, निवासी बसरे कालोनी, मंदसौर, कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सावीत्री जाटव (Savitri Jatav) था, अब मेरा नाम सावंती जाटव (Savantee Jatav) है। जो मेरे आधार, मतदाता फोटो पहचान पत्र में है। प्रकाशन उपरांत मुझे संशोधित सावंती जाटव (Savantee Jatav) के नाम से जाना—पहचाना जाएगा।

पुराना नाम (सावीत्री जाटव) (Savitri Jatav)	नया नाम (सावंती जाटव) (Savantee Jatav)
--	--

(G-161)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलेश उर्फ लल्ला पुत्र लक्ष्मण माहोर जाति कोरी, निवासी महलपुरा, शाढ़ौरा, गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, में मेरा नाम कमलेश माहोर दर्ज है एवं अन्य अभिलेख में मेरा नाम लल्ला दर्ज है। उक्त दोनों नाम कमलेश एवं लल्ला नाम से जाना जाता हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे कमलेश माहोर के नाम से जाना व पहचाना जावे।

भवदीय (कमलेश माहोर)

(G-162)

नाम परिवर्तन

मैं, अनीसा फातमा पति मोहम्मद असलम खान, निवासी म.नं. 2669–2670 शर्फाबाद रजा चौक, आनंद नगर, वार्ड नं. 55 अधारताल, जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम जीनत खान पति मोहम्मद असलम खान एवं जुगनी था जो कि मेरे व मेरे बच्चों के शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा गया है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनीसा फातमा पति मोहम्मद असलम खान दर्ज है। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अनीसा फातमा पति मोहम्मद असलम खान के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (जीनत खान)	नया नाम (अनीसा फातमा)
(G-163)	पति – मोहम्मद असलम खान।

नाम परिवर्तन

मैं, तन्मय जैन (Tanmay Jain) पिता देवेन्द्र कुमार जैन (Devendra Kumar Jain) उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 07, बड़कुल रेसिडेंसी के बाजू में, सरदार भगत सिंह वार्ड, शहपुरा जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सोनम जैन पिता देवेन्द्र कुमार जैन था जो कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा गया है। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम जहाँ—जहाँ भी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में सोनम जैन (Sonam Jain) पिता देवेन्द्र कुमार जैन (Devendra Kumar Jain) दर्ज है। उसके स्थान पर तन्मय जैन (Tanmay Jain) पिता देवेन्द्र कुमार जैन (Devendra Kumar Jain) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (सोनम जैन)	नया नाम (तन्मय जैन)
(G-164)	(Sonam Jain) (Tanmay Jain)

नाम परिवर्तन

मैं, शान्ती बाई शुक्ला धर्मपत्नी अंजनी कुमार शुक्ला, निवासी ग्राम दूबी, तहसील हुजूर, थाना गोविन्दगढ़, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे पति के पी.पी.ओ. में त्रुटिवश मेरा नाम Smt-Ganda bai/Smt-Genda Devi/Smt-Gediya Devi/Smt-Shanti Devi/Shanti Bai उक्त सभी नाम मेरे ही हैं किन्तु मेरा सही नाम शान्ती बाई शुक्ला है। प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरा सही नाम शांती बाई शुक्ला के नाम से जाना, पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम (Ganda Bai)	नया नाम (शान्ती बाई शुक्ला)
(G-165)	(Shanti Bai Shukla)
	पति – अंजनी कुमार शुक्ला।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के समय मेरा नाम मानसी कालानी था। विवाह—विच्छेद के उपरान्त अब मेरा नाम अपूर्वा पमनानी आत्मजा श्री रमेश पमनानी हो गया है। अतः भविष्य में मुझे अपूर्वा पमनानी के नाम से ही जाना पहचाना जाए।

पुराना नाम (मानसी कालानी)	नया नाम (अपूर्वा पमनानी)
(G-166)	आत्मजा—श्री रमेश पमनानी, पता—201, समृद्धिएलाइट—2, 103, कैसरबाग रोड, इन्दौर।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रमणि त्रिपाठी आत्मज श्री कमलेश प्रसाद शर्मा, 6वीं बटालियन एस.ए.एफ. रांझी जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पिता का नाम कमलेश प्रसाद शर्मा (KAMLESH PRASAD SHARMA) दर्ज है जबकि मेरे पिता के आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम कमलेश प्रसाद त्रिपाठी (KAMLESH PRASAD TRIPATHI) अंकित है. ये दोनों नाम मेरे पिता के स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरे पिता का नाम कमलेश प्रसाद शर्मा के स्थान पर कमलेश प्रसाद त्रिपाठी (KAMLESH PRASAD TRIPATHI) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम (कमलेश प्रसाद शर्मा) (G-167)	नया नाम (कमलेश प्रसाद त्रिपाठी) चन्द्रमणि त्रिपाठी.
---	---

नाम परिवर्तन

मैं, रामस्वरूप ठाकुर आत्मज श्री सुग्रीव ठाकुर, पता—3521, नया बसेरा, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रामस्वरूप, कुछ दस्तावेजों में रामस्वरूप जाटव, कुछ दस्तावेजों में राम अवरूप ठाकुर तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रामस्वरूप ठाकुर लिखा है, जो कि गलत है. मेरा सही एवं वास्तविक नाम रामस्वरूप ठाकुर आत्मज श्री सुग्रीव ठाकुर RAMSWAROOP THAKUR S/o SUGREEV THAKUR है जो कि सही है. अतः प्रकाशन के बाद मेरा नाम रामस्वरूप ठाकुर आत्मज श्री सुग्रीव ठाकुर के नाम से पढ़ा—लिखा, जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (रामस्वरूप जाटव) (G-168)	नया नाम (रामस्वरूप ठाकुर) आत्मज—श्री सुग्रीव ठाकुर.
---	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सरस्वती लोधी पति श्री अमरसिंग, निवासी—ग्राम तेंदुडाबर पोस्ट सहजपुर, तहसील—केसली, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम चंद्ररानी अंकित है किन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम सरस्वती लोधी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सही नाम सरस्वती लोधी के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे.

पुराना नाम (चन्द्र रानी) (G-169)	नया नाम (सरस्वती लोधी)
--	---------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं डालचंद जाट आ. श्री रेवाराम जाट, निवासी—ग्राम खुडगांव तह. खातेगांव जिला—देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र लोहिलाक्ष सिंह जाट के आधार में त्रुटिवश नाम लक्ष्य सिंह जाट है जो गलत है जबकि सही एवं वास्तविक नाम लोहिलाक्ष सिंह जाट आ. डालचंद जाट. अतः भविष्य में भी मेरे पुत्र लोहिलाक्ष सिंह जाट आ. डालचंद जाट से ही जाना एवं पहचाना जावे.

प्राथी (डालचंद जाट) (G-170)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहनलाल वर्मा आत्मज श्री गजराज सिंह वर्मा, निवासी—एम.आई.जी.—162, पंचवटी परिसर, वार्ड नं. 14, नर्मदापुरम, तहसील व जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे नाम अंग्रेजी में त्रुटिवश (MOHALLAL) लिखा गया है, जो गलत है. मेरा सही नाम (MOHANLAL VERMA) है. प्रकाशन के बाद मुझे मोहनलाल वर्मा (MOHANLAL VERMA) के नाम से लिखा—पढ़ा, जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (मोहनलाल) (G-171)	नया नाम (मोहनलाल वर्मा)
--	--------------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, प्रगति त्यागी पुत्री श्री सुधीर त्यागी, निवासी—ग्राम टिटोरा, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पूर्व का नाम सुप्रिया त्यागी लिखा गया है, जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम प्रगति त्यागी पुत्री श्री सुधीर त्यागी है. प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में मुझे प्रगति त्यागी पुत्री श्री सुधीर त्यागी के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (सुप्रिया त्यागी) (G-172)	नया नाम (प्रगति त्यागी)
--	--------------------------------

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जात है कि मेसर्स यश बिल्डर्स एसोसिएट्स 12, क्वार्टर, कोर्ट रोड, मंदसौर की मूल पार्टनरशिप डीड दिनांक 6 मार्च 2019 में 1. श्री संजय पिता वीरेन्द्र जैन, 2. श्री प्रवीण पिता इश्वरचंद अग्रवाल 3. श्रीमती हीना पति दिनेश कल्याणी, 4. श्री हरीश पिता किशनचंद चंदवानी, भागीदार थे जिसके भागीदार श्री संजय पिता वीरेन्द्र जैन का स्वर्गवास दिनांक 17 अगस्त 2020 को हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके भाई श्री आशीष पिता वीरेन्द्र जैन का नाम भागीदार के रूप में जोड़ने हेतु रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड दिनांक 16 सितंबर 2020 को तैयार की गई. यह कि उपरोक्त भागीदारी फर्म में श्री संजय पुत्र सुशील गुप्ता का नाम नये भागीदार के रूप में जोड़ने हेतु फर्म की रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड दिनांक 21 जनवरी 2021 को हेतु तैयार की गई. भागीदार श्रीमती हिना पति दिनेश कल्याणी का स्वर्गवास दिनांक 29 मई 2021 को हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके पति श्री दिनेश पिता ठाकुर दास कल्याणी का नाम भागीदार के रूप में जोड़ने हेतु फर्म की रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड दिनांक 9 जुलाई 2021 को तैयार की गई. भागीदार श्री आशीष जैन अपने निजी कारण एवं स्वेच्छा से फर्म से हटने के कारण नये भागीदार श्रीमती विमला देवी पति जीवन तवर का नाम नये भागीदार के रूप में जोड़ने हेतु फर्म की रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड दिनांक 29 जून 2024 को तैयार की गई.

यश बिल्डर्स एसोसिएट्स

1. श्री हरीश चंदवानी
2. श्री प्रवीण अग्रवाल
3. श्री दिनेश कल्याणी
4. श्रीमती विमला देवी तंवर
5. श्री संजय गुप्ता
(भागीदार).

(G-173)

नाम परिवर्तन

मैं, इमरान खान पिता भुरु खान, निवासी—वार्ड नं. 11, मदीना नगर, बड़वानी, तह. व जिला बड़वानी, वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र में त्रुटिवश "मोहम्मद शानिद खान" तथा माता का नाम निलोफर एवं पिता का नाम इमरान अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम "मोइन खान" तथा माता का नाम निलोफर खान एवं पिता का नाम इमरान खान है। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के पूर्व नाम "मोहम्मद शानिद खान" तथा माता का नाम निलोफर एवं पिता का नाम इमरान के स्थान पर प्रचलित नाम "मोइन खान" तथा माता का नाम निलोफर खान एवं पिता का नाम इमरान खान कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

प्रार्थी

(G-174)

(इमरान खान)

नाम परिवर्तन

मैं, अमन शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार सिंह, निवासी—MIG-428, श्रीकृष्णपुरम् होशंगाबाद रोड, समरधा, हुजूर, जिला भोपाल, (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों और आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश विजय कुमार शर्मा दर्ज हो गया है, जबकि मेरा पिता का सही नाम विजय कुमार सिंह (VIJAY KUMAR SINGH) है जो कि मेरे पिता के सभी दस्तावेजों में दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अमन शर्मा (AMAN SHARMA) पुत्र श्री विजय कुमार सिंह (VIJAY KUMAR SINGH) के नाम से जाना—पहचाना/लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(अमन शर्मा)

नया नाम

(अमन शर्मा)

(AMAN SHARMA)

पुत्र—श्री विजय कुमार सिंह

(VIJAY KUMAR SINGH)

नाम परिवर्तन

(G-175)

मैं, अरुण कुमार राऊत पिता श्री हिम्मत राव राऊत, निवासी—एल.आई.सी. ऑफिस के सामने, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा तहसील, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश। आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम गंधर्व राऊत दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम संशोधन कर अर्थव राऊत लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(G-176)

(अरुण कुमार राऊत)

नाम परिवर्तन

रावसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम स्वरा वर्मा पिता आशीष वर्मा (Swara Verma D/o Ashish Verma) था जो कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम था जो उसके आधार कार्ड में दर्ज है परन्तु उसका नाम बदलकर राध्या वर्मा पिता आशीष वर्मा (Radhya Verma D/o Ashish Verma) कर लिया है जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं पासपोर्ट पर दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं। अतः भविष्य में मेरी पुत्री को उसके नए नाम राध्या वर्मा पिता आशीष वर्मा (Radhya Verma D/o Ashish Verma) से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

प्रार्थी

(G-177)

(Ashish Verma)

निवासी — CW/16, सुखलिया, इंदौर।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विभिन्न दस्तावेजों में भिन्न-भिन्न नाम है मनोहर लाल तुरखिया (जैन) पिता वनमाली दास तुरखिया (Manoharlal Turakhiya (Jain) S/o Vanmali Das Turakhiya), मनोहर तुरखिया पिता वनमाली दास तुरखिया (Manohar Turakhia S/o Vanmali Das Turakhia), मनहर तुरखिया पिता वनमाली दास तुरखिया (Manhar Turakhiya S/o Vanmali Das Turakhia) अंकित है साथ ही मेरे आधार कार्ड में मनहर तुरखिया पिता वनमाली दास तुरखिया (Manhar Turakhiya S/o Vanmali Das Turakhia) तथा कुछ शासकीय अद्वशासकीय कागजों में जैसे—शासकीय दस्तावेज एवं पैन कार्ड आदि पर भी त्रुटिवश नाम अंकित हो गए थे जो मेरे ही नाम हैं एवं मुझ एक ही व्यक्ति के हैं। प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम मनहर तुरखिया पिता वनमाली दास तुरखिया (Manhar Turakhiya S/o Vanmali Das Turakhia) से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम
 (मनहर तुरखिया)
 पिता वनमाली दास तुरखिया
 MANHAR TURAKHIYA
 (G-178)

नया नाम
 (मनहर तुरखिया)
 पिता वनमाली दास तुरखिया
 MANHAR TURAKHIYA
 S/o VANMALI DAS TURAKHIA
 निवासी—14/1, फ्लैट नं. 302, न्यू पलासिया,
 गली नं. 1, प्रिंसेस स्क्वायर, इंदौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसर्ब बाबा हरिदास सेंड इडसट्रिंग्स जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0157/18, दिनांक 5 अगस्त 2018 को फर्म्स एवं सोसाईटी कार्यालय ग्वालियर द्वारा पंजीकृत की गई थी यह कि उक्त फर्म में दिनांक 7 सितम्बर 2024 को संशोधन किया गया है जिसमें भागीदारी के रूप में भागीदारी क्रमांक 1. श्रीमती सोमवती पत्नी ख. श्री रामप्रसाद, पता—सनवई दफई, पोस्ट महाराजपुरा, डबरा, ग्वालियर, भागीदारी क्रमांक 2 श्रीमती गुडडी पत्नी श्री कल्लू पता—सीगारपुर मुरार, ग्वालियर सम्मिलित थी जो कि अपनी स्वेच्छा के पृथक हो रहे हैं और नवीन भागीदारी के रूप में भागीदारी क्रमांक 2 के रूप में श्री विपीन सिंह राजावत पुत्र श्री रामप्रकाश सिंह राजावत, पता—303, मीनेनियम प्लाजा गोविंदपुरी खामी विवेकानंद वार्ड 29, ग्वालियर और भागीदारी क्रमांक 1 के रूप में श्री भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री षमषेर सिंह, पता—123, वार्ड नं. 4, अरोरा फार्म नियर महादेव मंदिर वाटर वर्क्स भिण्ड अपनी स्वेच्छा के फर्म मेरसर्ब बाबा हरिदास सेंड इडसट्रिंग्स में सम्मिलित हो रहे हैं।

(G-179) मे. बाबा हरिदास सेंड इडसट्रिंग्स
 विपीन सिंह राजावत
 (भागीदार).

नाम परिवर्तन

मैं, शपथपूर्वक सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री प्रतिज्ञा सिसोदिया है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में भी उसका नाम प्रतिक्षा सिसोदिया अंकित है। किंतु त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम प्रतिज्ञा सिसोदिया के स्थान पर कृतिका अंकित हो गया है। जो आधार कार्ड में प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम कृतिका के स्थान पर प्रतिज्ञा सिसोदिया अंकित किया लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

(G-180) आवेदक
 (रोहित सिसोदिया)
 पिता—श्री राजेन्द्र सिसोदिया
 निवासी—चन्द्रनगर कोटेश्वर मंदिर के पीछे,
 ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम पूजा राज अग्रवाल पिता धनराज अग्रवाल (Pooja Raj Agrawal D/o Dhan Raj Agrawal) था. जो मेरा ही शादी के पूर्व का नाम था जो कि मेरे पैन कार्ड एवं मार्कशीट पर दर्ज है. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर चिनिराज अग्रवाल पति विकास अग्रवाल (Chiniraj Agrawal W/o Vikas Agrawal) हो गया है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही महिला अर्थात् मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे मेरे नये नाम चिनिराज अग्रवाल पति विकास अग्रवाल (Chiniraj Agrawal W/o Vikas Agrawal) से जाना पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम (पूजा राज अग्रवाल) (Pooja Raj Agrawal) (G-181)	नया नाम (चिनिराज अग्रवाल) (Chiniraj Agrawal W/o Vikas Agrawal) निवासी-103, आकांक्षा श्री अपार्टमेंट, 92, सर्वोदय नगर, इंदौर.
--	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व पुराना नाम संजू गौड़ मरकाम पिता श्री किशन दास बैरागी जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है को परिवर्तित कर नया नाम राहुल बैरागी (RAHUL BAIRAGI) पिता श्री किशन दास बैरागी (KISHAN DAS BAIRAGI) हो गया है. इससे पूर्व मुझे नाम संजू गौड़ मरकाम पिता श्री किशन दास बैरागी के नाम से जाना और पहचाना जाता था. अब मेरा नाम राहुल बैरागी (RAHUL BAIRAGI) पिता श्री किशन दास बैरागी (KISHAN DAS BAIRAGI) हो गया है. प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम संजू गौड़ मरकाम लिखा है उसे नया नाम राहुल बैरागी (RAHUL BAIRAGI) पिता श्री किशनदास बैरागी (KISHAN DAS BAIRAGI) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम (संजू गौड़) (Sanju Gound) (G-182)	नया नाम (राहुल बैरागी) (RAHUL BAIRAGI)
---	--

नाम परिवर्तन

मैं, लीलाबाई पति राजु जी जाति भील निवासी-56, ग्राम सर.वनीखुर्द तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम लीलाबाई है जो कि वोटर आई डी कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश झालीबाई हो गया है, मुझे लीलाबाई के नाम से जाना-पहचाना जाता है, आधार कार्ड में झालीबाई की जगह लीलाबाई किया जाना है, भविष्य में मुझे लीलाबाई नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

(G-183)	आवेदिका (लीलाबाई) पति राजु जी.
---------	--------------------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, स्वाति पाणिग्रही (Swati Panigrahi) पत्नी श्री निशु अग्रवाल (Nishu Agrawal) निवासी-एच-15, बघीरा अपार्टमेंट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र उत्कर्ष अरोरा के शैक्षणिक रिकॉर्ड में मेरा नाम स्वाति अरोरा (Swati Arora) अंकित है किंतु मेरे समस्त शासकीय अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम स्वाति पाणिग्रही (Swati Panigrahi) है. मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ प्रकाशन उपरांत मुझे स्वाति पाणिग्रही (Swati Panigrahi) पत्नी निशु अग्रवाल (Nishu Agrawal) के नाम से जाना पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

(G-184)	पुराना नाम (स्वाति अरोरा) (Swati Arora)	नया नाम (स्वाति पाणिग्रही) (Swati Panigrahi) पत्नी—श्री निशु अग्रवाल (Nishu Agrawal)
---------	--	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नन्हे वीर नामदेव (Nanhe Veer Namdev) पुत्र बाबू लाल नामदेव (Babu Lal Namdev) आयु-व्यस्क, निवासी-सी-81, भद्रभदा रोड, प्रेमपुरा, भोपाल टी.टी. नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नन्हे वीर (Nanheveer) पुत्र श्री बाबूलाल नामदेव (Babulal Namdev) अंकित है किंतु मेरा सही नाम नन्हे वीर नामदेव (Nanhe Veer Namdev) पुत्र श्री बाबू लाल नामदेव (Babu Lal Namdev) है. मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे नन्हे वीर नामदेव (Nanhe Veer Namdev) पुत्र श्री बाबू लाल नामदेव (Babu Lal Namdev) के नाम से जाना पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(नन्हे वीर)
(Nanheveer)
(G-185)

नया नाम
(नन्हे वीर नामदेव)
(Nanhe Veer Namdev)
पुत्र-श्री बाबू लाल नामदेव
(Babu Lal Namdev)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अफकान अहमद लखनवी का नाम त्रुटिवश अफकान अहमद दर्ज हो गया था. प्रकाशन उपरांत अफकान अहमद लखनवी पिता इसरार अहमद लखनवी माता साजिया लखनवी के नाम से जाना जावे व सभी शैक्षणिक, शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

(G-186)

भवदीय
(इसरार अहमद लखनवी)
पता—तलैया मोहल्ला, वार्ड नं. 13,
मुंगावली, जिला—अशोकनगर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुन्दर देवी पति नेमीचंद जैन निवासी ग्राम मूडरा जरुवाखेड़ा तह. व जिला सागर. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संतोष रानी जैन दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मेरे मतदाता पहचान पत्र एवं पेंशन रिकॉर्ड में मेरा नाम श्रीमती सुन्दर देवी दर्ज है जो कि सही है. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुधार कर सुन्दर देवी लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

(G-187)

सूचनाकर्ता
(सुन्दर देवी)
पत्नी—नेमीचंद जैन.

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि समय लाल (SAMAY LAL) पिता श्री इन्द्रजीत सिंह पटेल निवासी—ब्लॉक नं. एच क्वार्टर नं. 07, पुरानी फैमली लाईन 6वीं बटालियन एस.ए.एफ. रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम समय लाल (SAMAY LAL) दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शासकीय दस्तावेज एवं मेरे शिक्षा संबंधित प्रमाण—पत्रों में मेरा नाम समय लाल पटेल (SAMAY LAL PATEL) दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपना नाम समय लाल (SAMAY LAL) के स्थान पर समय लाल पटेल (SAMAY LAL PATEL) लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

(G-188)

पुराना नाम
(समय लाल)
(SAMAY LAL)

नया नाम
(समय लाल पटेल)
(SAMAY LAL PATEL)
पता—ब्लॉक नं. एच क्वार्टर नं.07,
पुरानी फैमली लाईन 6वीं बटालियन
एस.ए.एफ. रांझी, जिला—जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, सुखाली राम आत्मज स्व. धनी राम धुर्वे 6वीं बटालियन एस.ए.एफ. रांझी जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुखाली राम एवं पिता का नाम स्व. धनी राम धुर्वे दर्ज है. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड परिचय पत्र एवं शासकीय अभिलेख में मेरा नाम सुकाली राम धुर्वे पिता स्व. धनी राम धुर्वे दर्ज है. प्रकाशन उपरांत सुकाली राम धुर्वे एवं पिता का नाम धनी राम धुर्वे नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुखाली राम)	(सुकाली राम धुर्वे)
(G-189)	पिता—धनीराम धुर्वे.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थिया पूजा करनानी पिता मनोहर करनानी निवासी—14/29, डाट की पुल, लोटस रेस्टोरेन्ट, रत्लाम की निवासी. मेरे कुछ दस्तावेजों में नाम पूजा रामचंदानी एवं अंकसूची, पेनकार्ड, वोटर आई.डी. आदि समस्त दस्तावेजों में पूजा करनानी (POOJA KARNANI) अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में प्रार्थिया को पूजा करनानी के नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पूजा रामचंदानी)	(पूजा करनानी)
(POOJA RAMCHANDANI)	(POOJA KARNANI)
(G-190)	

नाम परिवर्तन

प्रार्थिया शकुन्तला पति ब्रदीलाल (पिता भग्गा) निवासी—124, नई आबादी, ग्राम पचलासी तह. खाचरौद, जिला—उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शकुन्तला पिता भग्गा तथा आधार कार्ड में सुगन बाई अंकित है. मुझे दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में प्रार्थिया को शकुन्तला पति ब्रदीलाल (पिता भग्गा) के नाम से जाना पहचाना जावे.

प्रार्थी	प्रार्थी
(शकुन्तला)	(शकुन्तला)
(G-191)	पति—ब्रदीलाल (पिता भग्गा)

नाम परिवर्तन

भूपेन्द्र सिंह चन्देल पिता श्री चन्द्रप्रकाश चन्देल ग्राम चटुआ तह. जि. डिण्डौरी. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में भूपेन्द्र सिंह एवं भूपेंद्र चंदेल (BHOOPENDRA SINGH AND BHUPENDRA CHANDEL) अंकित है. परन्तु आधार कार्ड और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज में भूपेंद्र सिंह चंदेल (BHOOPENDRA SINGH CHANDEL) अंकित है. प्रकाशन उपरांत भूपेंद्र सिंह चंदेल (BHOOPENDRA SINGH CHANDEL) लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी	प्रार्थी
(भूपेन्द्र सिंह चंदेल)	(भूपेन्द्र सिंह चंदेल)
S/O चंद्र प्रकाश चंदेल	S/O चंद्र प्रकाश चंदेल
(BHOOPENDRA SINGH CHANDEL)	(BHOOPENDRA SINGH CHANDEL)
(G-192)	S/O CHANDRA PRAKASH CHANDEL)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, शकुबाई पति लालसिंह (पिता नानुराम) जाति राजपूत निवासी—ग्राम चौराना तह. व जिला रतलाम (हालमुकाम—178, भगत मौहल्ला, ग्राम कमठाना तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश) मेरा नाम वोटर आई डी में शकुबाई व आधार कार्ड में सरे कुंवर एवं शासकीय—दस्तावेजों में शकुबाई पिता नानुराम अंकित है। मुझे तीनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं तीनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में प्रार्थिया को शकुबाई पति लालसिंह (पिता नानुराम) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम

(शकुबाई सरे कुंवर शकुबाई)

(G-193)

नया नाम

(शकुबाई)

पति—लालसिंह।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थिया सावित्री बाई पति शिवराम जाट (पिता माना) निवासी—664, ग्राम पंचेड़ तह. व जिला रतलाम। मेरा नाम शासकीय—दस्तावेजों में श्यामु पुत्री माना तथा आधार कार्ड में सावित्री बाई अंकित है। मुझे उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में प्रार्थिया को सावित्री बाई पति शिवराम जाट (पिता माना) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम

(श्यामु पुत्री माना)

(G-194)

नया नाम

(सावित्री बाई)

पति—शिवराम जाट
(पिता माना)।

नाम परिवर्तन

मैं, बिहू गर्ग (BITTU GARG) पुत्र राजू गर्ग सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम प्रांजल गुप्ता (PRANJAL GUPTA) था जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, बिहू गर्ग पुत्र राजू गर्ग के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे पेन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। बिहू गर्ग एवं प्रांजल गुप्ता दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम प्रांजल गुप्ता के स्थान पर बिहू गर्ग लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(प्रांजल गुप्ता)

(G-195)

नया नाम

(बिहू गर्ग)

पुत्र—राजू गर्ग

पता—वार्ड 11, हरिबक्स गली सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.)।

नाम परिवर्तन

मैं, शिवांगी गजवानी जैन (SHIVANGI GAJWANI JAIN) पत्नी प्रतीक जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम शिवा गजवानी (SHIVA GAJWANI) था जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, शिवांगी गजवानी जैन पत्नी प्रतीक जैन के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। शिवांगी गजवानी जैन एवं शिवा गजवानी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम शिवा गजवानी के स्थान पर शिवांगी गजवानी जैन लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(शिवा गजवानी)

(G-196)

नया नाम

(शिवांगी गजवानी जैन)

पत्नी—प्रतीक जैन

पता—गजवानी नर्सिंग होम, लक्ष्मीगंज लश्कर,
ग्वालियर, (म.प्र.)।

नाम परिवर्तन

मैं, आस्था गजवानी (ASTHA GAJWANI) पुत्री राजेश गजवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सोफ्टी गजवानी (SOFTY GAJWANI) था जो मेरे शासकीय, अद्वशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, आस्था गजवानी पुत्री राजेश गजवानी के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. आस्था गजवानी एवं सोफ्टी गजवानी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे शासकीय, अद्वशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सोफ्टी गजवानी के स्थान पर आस्था गजवानी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम (सोफटी गजवानी)

(G-197)

नया नाम
 (आस्था गजवानी)
 पुत्री—राजेश गजवानी
 पता—गजवानी नर्सिंग होम, लक्ष्मीगंज लश्कर,
 खालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में शांतनु एजेंसी (M/S SHANTANU AGENCIES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/0157/22 दिनांक 26 अगस्त 2022 है। इस फर्म से दिनांक 6 जुलाई 2024 से एक भागीदार (1) श्री प्रसून श्रीवास्तव पिता ख. श्री गुरु प्रसाद श्रीवास्तव निवासी वार्ड नं. 28 अलका टॉकिंज के पास स्टेशन रोड छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). इनकी मृत्यु (5 जुलाई 2024) हो जाने का कारण बाहर हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 6 जुलाई 2024 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 28, अलका टॉकिंज के पास स्टेशन रोड छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है।

(M/S SHANTANU AGENCIES)

अनुराग श्रीवास्तव
(भागीदार).

(G-198)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश सिंगारे (Prakash Singare) एवं सेवन्ती सिंगारे (Sevanti Singare), सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि हमारे पुत्र आशीष सिंगारे (Ashish Singare) के सभी शासकीय, अद्वृशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है किंतु त्रुटि से आधार कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेजों में उसका नाम अंकित सिंगारे (Ankit Singare) अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को समस्त शासकीय/अद्वृशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में आशीष सिंगारे (Ashish Singare) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(अंकित सिंगारे)
(Ankit Singare)

(G-199)

नया नाम
 (आशीष सिंगारे)
 (Ashish Singare)
 आत्मज-प्रकाश सिंगारे
 निवास-78, अम्बे नगर, आई टी आई के सामने सुखलिया,
 बंदौर विजय नगर बंदौर (मुंबई).

३८ परिवर्तन

मैं, ब्रजेश जाट, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम अभिराज जाट (Abhiraj Jat) है जो उसके सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है परन्तु आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में त्रुटि से अभिमन्यु (Abhimanyu) अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र को समर्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में अभिराज जाट (Abhiraj Jat) के नाम से जाना—पहचाना लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(अभिमन्यु)
(Abhimanyu)

(G-200)

नया नाम
 (अभिराज जाट)
 (Abhiraj Jat)
 आत्मज-ब्रजेश जाट
 (Brajesh Jat)

नाम परिवर्तन

मैं, सरला (SARLA) पत्नी श्री श्रीराम बंसल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कमलेश बंसल (KAMLESH BANSAL) था जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, सरला पत्नी श्री श्रीराम बंसल के नाम से ही जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, शासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, सरला एवं कमलेश बंसल दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमलेश बंसल के स्थान पर सरला लिखा एवं पढ़ा जावे।

<p>पुराना नाम (कमलेश बंसल)</p> <p>(G-201)</p>	<p>नया नाम (सरला)</p> <p>पत्नी—श्री श्रीराम बंसल पता—82, जीवाजी गंज, मुरैना (म.प्र.)</p>
---	--

उपनाम परिवर्तन

हम अमित पारीक (Amit Parik) एवं दीप्ति पारीक (Deepti Parik), सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि मेरी पुत्री राशि पारीक (Rashi Parik) के शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटि से (Amit Pareek), (Deepti Pareek) एवं (Rashi Pareek) जो कि गलत है सही नाम (Amit Parik), (Deepti Parik) एवं (Rashi Parik) है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों, शैक्षणिक एवं अन्य सभी दस्तावेजों में हमारा सही उपनाम (Parik) से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

<p>(अमित पारीक) (Amit Parik)</p> <p>(G-202)</p>	<p>भवदीय (अमित पारीक) (Amit Parik)</p> <p>पता—मकान नं. 212, वार्ड नं. 6, मकसी, स्टेशन रोड, शाजापुर, (म.प्र.).</p>
---	---

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मायकॉर्प टेक्नोलॉजीज जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0420/16 वर्ष 2015—2016 दिनांक 12 फरवरी 2016 को पंजीबद्ध है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि अंकिता गुप्ता पत्नी सुनील कुमार गुप्ता को मेसर्स मायकॉर्प टेक्नोलॉजीज, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म में 9 दिसम्बर 2024 से साझेदार के रूप में भर्ती किया गया है और सीमा मित्तल पत्नी डी के मित्तल माईकॉर्प टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप फर्म से सेवानिवृत्त है।

मौजूदा साझेदारों का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. मंजू गुप्ता, महेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी मकान नं. का निवासी 17 चरण द्वितीय श्री गोल्डन सिटी जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल 462026

नए साझेदार का विवरण :

1. अंकिता गुप्ता पत्नी सुनील कुमार गुप्ता मकान नं. का निवासी 17 चरण द्वितीय श्री गोल्डन सिटी जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल 462026

सेवानिवृत्त साथी

1. सीमा मित्तल पत्नी डी के मित्तल, मकान नं. 33 फेस II श्री गोल्डन सिटी, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल 462026

मायकॉर्प टेक्नोलॉजीज

(मन्जू गुप्ता)

भागीदार

(G-203)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. MAHAKAL STONES, 10, NEAR BUS STAND, T.V. HOSPITAL KE BAGAL ME, नौगांव, जिला छतरपुर (M.P.). पंजीयन क्रमांक 06-12-03-0135/18 सन् 2017–2018 दिनांक 25 जनवरी 2018 पर पंजीकृत है. फर्म में दिनांक 17 अगस्त 2017 को पंजीयन के समय Anil Kumar & Amratansh Pathak भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 22 जून 2023 को फर्म के भागीदार Anil Kumar फर्म के भागीदारी से पृथक हो गये. उक्त दिनांक 22 जून 2023 को Mohd. Shanawaz Shiddiqe को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 24 जून 2023 को फर्म के भागीदार Amratansh Pathak फर्म के भागीदारी से पृथक हो गये उक्त दिनांक 24 जून 2023 को Smt Pariyambada Pathak को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 18 सितम्बर 2023 को फर्म के भागीदार Mohd. Shanawaz Shiddiqe फर्म के भागीदार से पृथक हो गये उक्त दिनांक 18 सितम्बर 2023 को Smt. Bhubaneshwari Pathak को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को Mrs. Rashmi Tiwari को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. जिसका संशोधित विलेख दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को निष्पादित किया गया है. वर्तमान में फर्म में Smt. Bhubaneshwari Pathak, Smt Pariyambada Pathak & Mrs. Rashmi Tiwari भागीदार हैं. फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है.

फर्म—M/s. MAHAKAL STONES

(Smt. Pariyambada Pathak)
(Partner)

Add-10, NEAR BUS STAND, T.V. HOSPITAL KE BAGAL ME,
नौगांव, जिला छतरपुर (M.P.).

(G-204)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विनायक फूड इंडस्ट्रीज, भवन क्र. 366, वार्ड क्र. 37, देरी रोड, अक्षय धाम मन्दिर गेट के पास, कैम्पियन इंगिलिश स्कूल के सामने, छतरपुर तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.). 471001, पंजीयन क्र. 06-12-01-00-85-20 पंजीयन दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को पंजीयत हुई जिसमें श्री साकेत अग्रवाल, श्री तरुण पिपरसानिया, भागीदार थे और दिनांक 30 नवम्बर 2024 को श्री तरुण पिपरसानिया ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 1 दिसम्बर 2024 को श्रीमती सरला अग्रवाल, फर्म में शामिल हो गये हैं. आज दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं. श्री साकेत अग्रवाल, श्रीमती सरला अग्रवाल एवं आज दिनांक 01 दिसम्बर 2024 को कार्यालय का स्थानान्तरण नौगांव रोड, खसरा नं. 953, छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला—छतरपुर (म.प्र.). पर कार्यालय स्थित हो गया है.

मेसर्स विनायक फूड इंडस्ट्रीज

(साकेत अग्रवाल)
भागीदार.

(G-205)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स डिवाइन इंटरप्राइजेस, तिली हॉस्पिटल के पीछे, गुलाब कॉलोनी, शिवाजी नगर, वार्ड सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.). पंजीयन क्रमांक 06-09-01-0081-20 सन् 2020–2021 दिनांक 27 अक्टूबर 2020 पर पंजीकृत है. फर्म में पंजीयन के समय दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को नमन श्रीवास्तव व श्रीमती वर्षा विश्वकर्मा भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 1 जुलाई 2024 को नीरज कुमार विश्वकर्मा व अमन श्रीवास्तव को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. वर्तमान में फर्म में नमन श्रीवास्तव, श्रीमती वर्षा विश्वकर्मा, नीरज कुमार विश्वकर्मा व अमन श्रीवास्तव भागीदार हैं. फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है.

फर्म—मेसर्स डिवाइन इन्टरप्राइजेस

(नमन श्रीवास्तव)
भागीदार

(G-206)

पता—तिली हॉस्पिटल के पीछे, गुलाब कॉलोनी, शिवाजी नगर,
वार्ड सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, लल्ली धुर्व पत्नी श्री लाल सिंग पुत्री स्व. श्री रामचरण धुर्व, निवासी—ग्राम अवरिया, पोस्ट भतोडिया खुर्द, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाडा (म.प्र.). मेरे सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा वास्तविक व सही नाम लल्ली धुर्व पुत्री श्री रामचरण धुर्व अंकित है जो कि मेरा सही नाम है. मुझे लल्ली उझके व राजकुमारी नाम से भी जाना—पहचाना व पुकारा जाता है. अतः लल्ली धुर्व, लल्ली उझके एवं राजकुमारी तीनों एक ही महिला के नाम हैं, जो कि मेरे हैं. प्रकाशन उपरांत लल्ली धुर्व पत्नी लाल सिंग पुत्री स्व. श्री रामचरण धुर्व के नाम से जाना—पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (लल्ली उझके, राजकुमारी)	नया नाम (लल्ली धुर्व)
(G-207)	(LALLY DHURVEY).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, पूजा कृष्णा बचले, मेरी शादी आकाश हरसुले मु.पो. खामला तह. भैसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.). मैं हुई है. मैं, मेरा नाम परिवर्तन कर पूजा आकाश हरसुले कर रही हूँ. अतः मुझे भविष्य में पूजा आकाश हरसुले नाम से जाना—पहचाना जाए.

पुराना नाम (पूजा कृष्णा बचले)	नया नाम (पूजा आकाश हरसुले)
(G-208)	

नाम परिवर्तन

मैं, खुशबू पुत्री श्रीराम, निवासी—203, धानक वाली गली, वार्ड—14, बासोदा, जिला—विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश खुशबू अहिरवार दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर खुशबू पुत्री श्रीराम नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम खुशबू पुत्री श्रीराम से जाना—पहचाना वा लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (खुशबू अहिरवार)	नया नाम (खुशबू)
(G-209)	(KHUSHBOO) पुत्री—श्रीराम.

नाम परिवर्तन

मैं, पार्वती नागवानी, पत्नी श्री रिषभ नागवानी, निवासी—10, चंदन कुटी, इब्राहिमगंज मेन रोड, जिला—भोपाल, (म.प्र.). मेरे विवाह पूर्व मेरा नाम फूल बाई था, और मेरी अंक—सूची में पार्वती अहिरवार दर्ज है, विवाह उपरान्त मेरा नाम पार्वती नागवानी पत्नी श्री रिषभ नागवानी कर लिया गया, जो कि मेरे विवाह प्रमाण—पत्र में दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम पार्वती नागवानी (PARVATI NAGVANI) पत्नी श्री रिषभ नागवानी से जाना—पहचाना वा लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (फूल बाई)	नया नाम (पार्वती नागवानी)
(G-210)	(PARVATI NAGVANI) पत्नी—श्री रिषभ नागवानी.

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that the partnership firm M/s Jambudeep Builders is registered under the Indian Partnership Act, 1932 at Registration No. 232 Dt. 27th May 1991. That Partner Mr. Sumatchand Jain (Saraf) S/o Shri Manakchand Saraf R/o 46, Neem Ke Ped ke pass, Katra Bazar, Lalitpur (U.P.) has given voluntary retirement from the firm with effect from 24th December, 2024 and from the said date registered office of the firm has been shifted to 97, Shanti Niketan, Niranjanpur, Indore (M.P.). The notice issued under the compliance of Indian Partnership Act, 1932.

For - M/s Jambudeep Builders

(G-211)

(प्रभावती जैन)

(Partner).

CHANGE OF NAME

I, Ditya Dengani W/o Mr. Naveen Kumar Dengani R/o Nai Basti, Near Radha Swami Bhawan, Jagmohan Das ward, Murwara, Katni (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Ekta Madhwani D/o Mr. Mahesh Kumar Madhwani. After Marriage my name has been changed as Mrs. Ditya Dengani W/o Mr. Naveen Kumar Dengani, after marriage I known as Ditya Dengani W/o Mr. Naveen Kumar Dengani for all purposes on every records.

Old Name

(Ekta Madhwani)

(G-212)

New Name

(Ditya Dengani)

नाम परिवर्तन

मैं, सावित्री बाई पत्नी श्री राजमल मालवीय जाहिर सूचना प्रेषित करती हूँ कि DHYANSINGH SOLANKI S/o RAISINGH SOLANKI हो गया है, जिसे बदलकर सही नाम अंग्रेजी में DHYANSINGH SOLANKI (ध्यानसिंह सोलंकी) किया जाना है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम DHYANSINGH SOLANKI S/o RAISINGH SOLANKI (ध्यानसिंह सोलंकी आत्मज श्री रायसिंह सोलंकी) के नाम से जाना और पहचाना जाए।

आवेदक

(ध्यानसिंह सोलंकी)

(DHYANSINGH SOLANKI).

नाम परिवर्तन

मैं, सोबरन सिंह पुत्र श्री प्रतिपाल सिंह जाति राजपूत निवासी—ग्राम परसोन तहसील मालथोन, जिला—सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम कुंवर सिंह पुत्र श्री सोबरन सिंह लिखा हुआ है। जो कि गलती से आधार कार्ड में दर्ज हो गया है, जिसका सही नाम संस्कार राजपूत है, उसके आधार कार्ड को मैं सही कराना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत उसका नाम आधार कार्ड में संशोधन कर संस्कार राजपूत किया जाए।

प्रार्थी

(सोबरन सिंह राजपूत)

(G-214)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राघवेन्द्र सिंह राणावत पिता श्री जोरावर सिंह गोयल, निवासी—क्वार्टर नं. 18, थाना परदेशीपुरा परिसर, नियर मालवा मिल, इंदौर (म.प्र.) पूर्व में राघवेन्द्र सिंह गोयल पिता श्री जोरावर सिंह गोयल, निवासी—क्वार्टर नं. 18, थाना परदेशीपुरा परिसर, नियर मालवा मिल, इंदौर (म.प्र.). के नाम से जाना जाता था। प्रकाशन उपरांत मुझे अब राघवेन्द्र सिंह राणावत पिता श्री जोरावर सिंह गोयल जी के नाम से ही जाना जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(राघवेन्द्र सिंह गोयल)

(राघवेन्द्र सिंह राणावत)

(G-215)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नाम शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में प्रमिलाबाई पति फुलसिंह है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे सुधार कर मैंने अपना नाम विमलाबाई पति फुलसिंह कर लिया है। अतः समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम विमलाबाई पति फुलसिंह लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(प्रमिलाबाई पति फुलसिंह)

(विमलाबाई पति फुलसिंह)

(G-216)

पता—जयसिंहपुरा, अखंड महाकाल कॉलोनी,
उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री प्रेरणा वर्मा (PRENA VERMA) का नाम बदलकर प्रेक्षा वर्मा (PREKSHA VERMA) रख लिया है। अतः भविष्य में मेरे पुत्री को प्रेक्षा वर्मा (PREKSHA VERMA) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थी

(नीरज वर्मा)

(G-217)

125, जवाहर नगर कॉलोनी,
राजेन्द्र नगर, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेहताब अहमद कुरेशी (Mehtab Ahmad Qureshi) पुत्र श्री सिराज अहमद कुरेशी (Siraj Ahmad Qureshi) निवासी—132, सोनिया गांधी कॉलोनी, ऐशबाग, बेगम मंजूर अली मस्जिद के पास, ऐशबाग हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मेहताब अहमद (Mehtab Ahmad) पुत्र श्री सिराज अहमद कुरेशी (Siraj Ahmad Qureshi) अंकित है, किंतु मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम मेहताब अहमद कुरेशी (Mehtab Ahmad Qureshi) पुत्र श्री सिराज अहमद कुरेशी (Siraj Ahmad Qureshi) है, मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूं। प्रकाशन उपरांत मुझे मेहताब अहमद कुरेशी (Mehtab Ahmad Qureshi) पुत्र श्री सिराज अहमद कुरेशी (Siraj Ahmad Qureshi) के नाम से जाना पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(मेहताब अहमद)
(Mehtab Ahmad)

(मेहताब अहमद कुरेशी)
(Mehtab Ahmad Qureshi)

(G-218)

पुत्र—श्री सिराज अहमद कुरेशी।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भास्कर ठोम्बरे (Bhaskar Thombare) पुत्र श्री यादवराव ठोम्बरे (Yadavrao Thombare) निवासी—वार्ड नं. 09, सुभाष वार्ड, नगर पालिका के पास, सौसर, छिन्दवाड़ा सौसर (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नाना यादवराव आपा (Nana Yadavrao Appa) अंकित है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम भास्कर ठोम्बरे (Bhaskar Thombare) है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं। मेरा सही नाम भास्कर ठोम्बरे (Bhaskar Thombare) पुत्र श्री यादवराव ठोम्बरे (Yadavrao Thombare) है, मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे भास्कर ठोम्बरे (Bhaskar Thombare) पुत्र श्री यादवराव ठोम्बरे (Yadavrao Thombare) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
(नाना यादवराव आपा)
(Nana Yadavrao Appa)

(G-219)

नया नाम
(भास्कर ठोम्बरे)
(Bhaskar Thombare)
पुत्र श्री यादवराव ठोम्बरे
(Yadavrao Thombare)

नाम परिवर्तन

मैं, AAIRAH MASOOD पुत्री MOHD MASOOD आयु—व्यस्क निवासी—एफ—1, एलाईट काम्पलेक्स, सुल्तानिया रोड, भोपाल (म.प्र.). की हूँ। यह कि सम्पूर्ण दस्तावेजों में मेरा नाम NABEELA MASOOD पुत्री MOHD MASOOD दर्ज है। जहां कहीं भी मेरा नाम NABEELA MASOOD पुत्री MOHD MASOOD दर्ज है उसके स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम AAIRAH MASOOD पुत्री MOHD MASOOD पढ़ा—लिखा जावे।

पुराना नाम
(NABEELA MASOOD)
(G-220)

नया नाम
(AAIRAH MASOOD)
पुत्री—MOHD MASOOD.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ग्यारसी बाई पति श्री शंकर पता—पाथाखेड़ा सिवनी, मध्यप्रदेश, चिकित्सा सेवा कार्ड में मेरा नाम ग्यारसी बाई है किन्तु मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम गंगाबाई मानमोड़े अंकित हो गया है। प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड व पेन कार्ड व अन्य सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नाम परिवर्तित कर ग्यारसी बाई दर्ज किया जावे।

(G-221)

आवेदक
(ग्यारसी बाई)

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र.).

इन्दौर, दिनांक 6 जनवरी 2025

क्र.—37—बस स्टेण्ड—2025.—क्रमांक 274—बस स्टेण्ड—2024 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेश राठोड़, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इन्दौर संभाग, इन्दौर सरवटे बस स्टेण्ड से उज्जैन से आगे राजस्थान राज्य की ओर व्हाया उज्जैन, घटिया, घोसला, आगर, सोयत की ओर जाने एवं आने वाली, इन्दौर सरवटे बस स्टेण्ड से उज्जैन, महिदपुर, नलखेड़ा, आगर आदि की ओर जाने एवं आने वाली, इन्दौर से राजस्थान राज्य एवं उससे होते हुए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जौधपुर, दिल्ली की ओर जाने एवं आने वाली, इन्दौर से गुजरात राज्य की ओर मार्ग अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदा, भरुच, सूरत, गांधीनगर, सोमनाथ की ओर जाने एवं आने वाली प्रक्रम (STAGE CARRIGE) वाहनों में यात्रियों के बैठाने एवं उतारने के लिए जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से स्थान—एम.आर. 10 स्थित ग्राम कुमेड़ी में आय.एस.बी.टी. (टंट्या भील बस स्टेण्ड) को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 117 के अन्तर्गत बस स्टेण्ड अधिसूचित घोषित करता हूँ।

(G-222)

राजेश राठोड़, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, उपखण्ड—गरोठ, जिला मंदसौर
प्रकरण क्रमांक—बी—113—2024—25

गरोठ, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा—5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 का नियम 5(1) देखिये]

क्रमांक—3642—रीडर—1—लोक न्यास—2024.— आवेदक श्री बापुलाल पिता प्रभुलाल धाकड़ निवासी कुंतलखेड़ी, अध्यक्ष एवं श्री रामगोपाल पिता प्रभुलाल धाकड़ निवासी कालाकोट उपाध्यक्ष के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 1951 (30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में विचाराधीन है। मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोठ, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश उक्त लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 17 जनवरी 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यह आपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या विनिर्दिष्ट सम्पत्ति में हित रखता हो या उक्त न्यास के पंजीयन में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका वह गठन करती है।

अतएव एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति या सुझाव को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मय दस्तावेज प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को व्यक्तिशः या वैध अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव आदि को ग्रहण करने पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता :— श्री धरणीधर मंदिर एवं धाकड़ समाज धर्मशाला ट्रस्ट ग्राम दुधाखेड़ी तहसील भानपुरा जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश.

लोक न्यास सम्पत्ति का विवरण :— चल सम्पत्ति

1. नगदी निरंक

लोक न्यास सम्पत्ति का विवरण :— अचल सम्पत्ति

1. ग्राम दुधाखेड़ी में स्थित भूमि सर्वे नं. 277/1/1/1/2 रकबा 0.500 है। स्थित है।

चन्द्रसिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.

(G-223)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश रा.प्र.क्र.—202—बी—113—वर्ष 2024—25

सागर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

क्रमांक—202—री—1—आ.वि.अ.—2024.— एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री देव पारसनाथ तथा देव आदिनाथ जी जैन मंदिर चकराधाट सागर के द्वारा तोषचंद पिता स्व. श्री लखमीचंद मोदी निवासी अरिहंत बिहार कालोनी पत्तनगर, वार्ड सागर के द्वारा आवेदन पेश कर लेख किया है कि श्री देव पारसनाथ तथा देव आदिनाथ जी जैन मंदिर ट्रस्ट क्रमांक 67 का संचालन कुटुम्ब के उत्तराधिकारियों के द्वारा किया जाता रहा है परंतु ट्रस्ट के प्रस्ताव के अनुसार श्री दिगम्बर जैन सागरोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम परिवर्तित करते हुए अब हम लोग उक्त ट्रस्ट का प्रबंधन नये विधान के अनुसार ट्रस्टियों

के द्वारा चुने गये पदाधिकारियों के द्वारा द्रस्ट का प्रबंधन एवं संचालन करना चाहते हैं। म.प्र. पब्लिक द्रस्ट एकट 1951 की द्वारा 4 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक द्रस्ट में परिवर्तन संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः उपरोक्तानुसार श्री दिग्म्बर जैन सागरोदय तीर्थ क्षेत्र (श्री देव पारसनाथ तथा देव आदिनाथ जी जैन मंदिर द्रस्ट क्रमांक 67 चक्राधाट) सागर में संशोधन परिवर्तन किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 27 जनवरी 2024 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी।

(G-224)

अदिती यादव, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएँ

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1751.— इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2020/659 दिनांक 12 जून 2020 के द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ओखला, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1363 दिनांक 16 फरवरी 2004 है, जिसका म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—१सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओखला तहसील बड़वाह जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1363 दिनांक 16 फरवरी 2004 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 5 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(G-225)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1752.— इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2020/659 दिनांक 12 जून 2020 के द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भेरुखेड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1401 दिनांक 17 दिसम्बर 2004 है, जिसका म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र.एफ 5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भेरुखेड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 1401 दिनांक 17 दिसम्बर 2004 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 5 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(G-226)

खरगोन, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1763.— इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2016/714 दिनांक 01 जून 2016 के द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मोंगरगांव, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1518 दिनांक 11 जून 2007 है, जिसको म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती अनिता राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र.एफ 5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मोंगरगांव, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(G-227)

खरगोन, दिनांक 9 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1781.— इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2020/1464 दिनांक 11 नवम्बर 2020 के द्वारा हरिओम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन तह. खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 154 दिनांक 18 फरवरी 2008 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1855 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री एस.आर. सोंलकी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, हरिओम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 154 दिनांक 18 फरवरी 2008 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1855 दिनांक 10 मार्च 2014 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 9 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-228)

खरगोन, दिनांक 9 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1781.—इस कार्यालय के आदेश क्र—परिसमापन—2020—1463, दिनांक 11 नवम्बर 2020 के द्वारा बबीसा ब्रह्मण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन तह. खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 149 दिनांक 30 जनवरी 2008 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1850 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, ब्रह्मण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 149 दिनांक 30 जनवरी 2008 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1850 दिनांक 10 मार्च 2014 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 9 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-229)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1782.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2020—1427, दिनांक 11 नवम्बर 2020 के द्वारा दक्षायणी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह तह, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 114 दिनांक 14 नवम्बर 2006 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1816 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दक्षायणी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह तह, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 114 दिनांक 14 नवम्बर 2006 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1816 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 9 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-230)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1782.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2023—1495, दिनांक 28 अगस्त 2023 के द्वारा नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्यादित मण्डलेश्वर तह, महेश्वर जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1825 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री अंतरसिंह जाधव, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रा को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्यादित मण्डलेश्वर तह, महेश्वर जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1825 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 9 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-231)

खरगोन, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1794.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2023, हरियाली कृषक ऑग्रेनिक साख सहकारी संस्था मर्यादित अमलाथा तह, कसरावद जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 194 दिनांक 8 जून 2010 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1895 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री राजाराम भट्ट वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, हरियाली कृषक ऑग्रेनिक साख सहकारी संस्था मर्यादित अमलाथा तह, कसरावद जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 194 दिनांक 8 जून 2010 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1895 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-232)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1795.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2023—1495 दिनांक 28 अगस्त 2023 के द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाखी, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1677 दिनांक 17 अक्टूबर 2012 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाखी, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1677 दिनांक 17 अक्टूबर 2012 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-233)

खरगोन, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2020—1800.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2020—1737, दिनांक 28 दिसम्बर 2010 के द्वारा श्री सांई विश्वास क्रेडिट को—ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 54 दिनांक 16 अगस्त 2004 है एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1756 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री सोहन सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, श्री सांई विश्वास क्रेडिट को—ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 54 दिनांक 16 अगस्त 2004 है एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1756 दिनांक 10 मार्च 2014 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-234)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1815.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2020—247, दिनांक 6 फरवरी 2012 के द्वारा आयमा साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तह. खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 9 जनवरी 2008 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1849 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री सोहन सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, आयमा साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तह. खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 9 जनवरी 2008 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1849 दिनांक 10 मार्च 2014 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-235)

खरगोन, दिनांक 13 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1816.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2020—806, दिनांक 2 जुलाई 2013 के द्वारा तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गोगांव पंजीयन क्रमांक 58 दिनांक 18 फरवरी 1959 है जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गोगांव पंजीयन क्रमांक 58 दिनांक 18 फरवरी 1959 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-236)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1817.— इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2020/1260 दिनांक 22 फरवरी 2023 के द्वारा श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 128 दिनांक 3 अगस्त 2007 है एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1829 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 128 दिनांक 3 अगस्त 2007 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1829 दिनांक 10 मार्च 2014 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-237)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2020—1818.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2020—1737, दिनांक 28 दिसम्बर 2010 के द्वारा सतपुड़ा साख सहकारी संस्था मर्यादित कदवाली, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1744 दिनांक 10 मार्च 2014 है जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री बसंत यादव, वरिष्ठ सहकारी निरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, सतपुड़ा साख सहकारी संस्था मर्यादित कदवाली, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1744 दिनांक 10 मार्च 2014 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-238)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1819.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2009—140, दिनांक 10 फरवरी 2009 के द्वारा योग इन्वेस्टर साख सहकारी संस्था मर्यादित कदवाली, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 75 दिनांक 7 जून 2005 है संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1777 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री नवीन मुहावरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, योग इन्वेस्टर साख सहकारी संस्था मर्यादित कदवाली, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 75 दिनांक 7 जून 2005 है संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1777 दिनांक 10 मार्च 2014 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-239)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1819.—इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2022—30, दिनांक 11 जनवरी 2022 के द्वारा श्री अन्नपूर्णा माय फण्ड साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन जिला खरगोन संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1873 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्रीमति अनिता राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, श्री अन्नपूर्णा माय फण्ड साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन जिला खरगोन संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1873 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-240)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1820.—इस कार्यालय के आदेश क्र.—परिसमापन—2020—1454, दिनांक 11 नवम्बर 2020 के द्वारा शीतल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 162 दिनांक 19 जून 2008 है, एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1863 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, शीतल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 162 दिनांक 19 जून 2008 है, एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1863 दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(G-241)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

क्र.—परिसमापन—2024—3464.— सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला नर्मदापुरम के द्वारा निम्न सहकारी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे संशोधित आदेश के द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दिनांक
1	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पाजराकंला	2547/26.02.1996 3136/13.11.2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम 57 ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह (60 दिवस) के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम)/आपत्तियाँ मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध कर समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-242)

आर.के. मेहरा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

नर्मदापुरम, दिनांक 13 नवम्बर 2024

कार्यालय, उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे संशोधित आदेश के द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दिनांक
1.	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, डांडीवाडा	2565/26.02.1996 3137/13.11.2024
2.	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बछवाडा	2566/26.02.1996 3138/13.11.2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम 57 ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जायेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 13 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-243)

नर्मदापुरम, दिनांक 26 नवम्बर 2024

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे संशोधित आदेश के द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश दिनांक
1	मानस बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी	2421/19.05.1994	1737/20.09.2024
2	रेवा कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद	2111/09.11.1979	178/30.01.2015
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इटारसी	2100/30.10.1990	721/16.07.2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम 57 ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जायेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 26 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-244)

विनिता चौधरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

नर्मदापुरम, दिनांक 13 नवम्बर 2024

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे संशोधित आदेश के द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश दिनांक
1	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, धरमकुण्डी	2558/26.02.1996	3141/13.11.2024
2	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बावरीघाट	2560/26.02.1996	3142/13.11.2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम—57 ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहुकारगण दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेख बद्ध कर समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 13 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-245)

उमेश यादव, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025—पौष 27, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)